अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 4–73 / 2013

रेणु कुमारी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: **आदेश** :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या 89 / 2011–12 में दिनांक 18.07.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी अपीलवाद दयार किया गया जो स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ है ।

उक्त अपीलवाद बाल विकास परियोजना, सोनवर्षा अन्तर्गत पंचायत– शाहपुर के ऑगनबाड़ी केन्द्र– शाहपुर बाजार पूर्वी केन्द्र संख्या–20 से संबंधित है ।

संक्षेप में मामला यह है कि पिंकी सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत शाहपुर, प्रखण्ड– सोनवर्षा के पत्रांक 01 दिनांक 09.09.11 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा को एक शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें सोनवर्षा परियोजना अन्तर्गत पंचायत शाहपुर के ऑगनबाड़ी केन्द्र शाहपुर बाजार पूर्वी कोड सं0–20 के सेविका पर इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना के लाभार्थियों का खाता खोलवाने एवं बच्चों के नामांकन के नाम पर पैसे वसूलने एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप लगाया गया । श्रीमती नूतन कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, सोनवर्षा परियोजना द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र शाहपुर बाजार पूर्वी केन्द्र संख्या –20 पंचायत शाहपुर, बाल विकास परियोजना सोनवर्षा से जॉच कराया गया वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा ने अपने पत्रांक 384 / दिनांक 05.04.11 से जॉच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को भेजा गया जिसमें अपीलार्थी द्वारा इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना के लाभार्थियों को खाता खुलवाने के कम में उनसे अवैध रूप से पैसा वसूले जाने संबंधी आरोप

की सम्पुष्टि हुयी वो केन्द्र संचालन में अनियमितता परिलक्षित हुई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सेविका पर अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है ।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , सहरसा के ज्ञापांक 16–1 दिनांक 03.01.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने की सूचना का तामिला कराया गया वो निम्न न्यायालय में दिनांक 23.01.2012 को सुनवाई की गई । सुनवाई के समय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा अनुपस्थित थी परन्तु ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती रेणु कुमारी उपस्थित हुई। ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । अपीलार्थी का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने पर उसे अस्वीकृत करते हुए ऑगनबाड़ी सेविका के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश निम्न न्यायालय द्वारा पारित किया गया ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में अपीलार्थी द्वारा विगत मुखिया चुनाव में मुखिया के विरूद्ध कार्य करने पर उनके द्वारा लगाया गया आरोप प्रतिशोध की भावना से अभिप्रेरित बतलाते है । विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पति श्री भूषण गुप्ता मुखिया के विरूद्ध दिनांक 29.07.11 को गृह क्षति से संबंधित अभ्यावेदन आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को दिया था जिसका पत्रांक 462 /जनता दरबार है। मुखिया बदले की भावना से अपीलार्थी के विरूद्ध साजिश रचकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा को अभ्यावेदन समर्पित कर इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना में खाता खुलवाने के नाम पर अवैध राशि उगाही करने एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया जो सरासर गलत है ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि केन्द्र संचालन में अनियमितता बरतने के आरोप के संबंध में कथन करते हैं कि यह आरोप भी मुख्या द्वारा प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से लगाया गया है । माह – अप्रैल, मई, जून अगस्त एवं अक्टुबर 2011 में पोषाहार उपलब्ध नहीं करया गया । महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती नुतन कुमारी द्वारा क्रय पंजी सत्यापित करने में अवैध राशि की मांग एवं अन्य तरह से केन्द्र संचालन में बाधा उत्पन्न करने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा केन्द्र का संचालन नियमित रूप से किया गया है। विद्वान अधिक्वक्ता आगे कथन करते हैं कि विभिन्न तिथि को भिन्न–भिन्न निरीक्षी पदाधिकायिों द्वारा उक्त केन्द्र का निरीक्षण कर निरीक्षण पंजी में मंतव्य अंकित भी किया गया है । महिला पर्यवेक्षिका द्वारा जॉच के क्रम में समर्पित पोषक क्षेत्र के 11 लाभुकों के बयानों में से 10 लाभुकों के द्वारा शपथ पत्र जो एक ही दिन (दिनांक 03.04.13 को) किया गया की प्रति उपलब्ध कराते हुए आगे कथन करते हैं कि उनसे निरीक्षण के दिन (दिनांक 20.09.2011 का) कोई बयान नहीं लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि निरीक्षण प्रतिवेदन से अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होता है । अतएव निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा पोषक क्षेत्र के लाभुकों से अवैध वसूली करना एक गंभीर मामला है।

ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर सेविका द्वारा केन्द्र स्तरीय अनुश्रवण सदस्यों, उच्चाधिकारी या किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी को सूचना नहीं दिया गया है । अतएव सेविका द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त किया जाना सही है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखीय साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची की निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2012 को पारित आदेश के बहुंत बाद की तिथि में लाभुकों से शपथ पत्र लिया जाना After thought प्रतीत होता है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपीलवाद अस्वीकृत। इसी के साथ अपीलवाद निस्तारित किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

14/3/2014

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

14/3/2014

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।